तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
22/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 11/11/19 को पेश हो।
11/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 18/11/19 को पेश हो।
18/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 8/1/20 को पेश हो।
8/1/20	पत्रावली पेश हुई। वकलाय उप./ अनुपस्थित/पीठासीन अधिकारी दौरे पर/अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक 27/1/20 को पेश हो। तहसीलदार रा०शौ० से रिपोर्ट पेश हुई शामिल मिसल कीजाये।
27/1/20	पत्रावली पेश हुई। वकलाय पक्षकार उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14/2/20 को पेश हो।
14/2/20	पत्रावली पेश हुयी वकील वादीगण हाजिर। अप्रार्थी सं०1 से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल मिसल किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/2/20 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
/2/20	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तन ग्राम सलेदीपुरा तहसील खण्डेला की कृषि भूमि ख०न० 485 में प्रार्थी रामेश्वर अपनी खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में मकानात बनाकर परिवार सहित आबाद है तथा भूमि ख०न० 484 में प्रार्थीया कमला देवी ने मकान बनाकर अपने खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में परिवार सहित आबाद कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की इन भूमियों का एक मात्र कदीमी-प्रचलित रास्ता अप्रार्थीगण राजस्थान सरकार के भूमि ख०न० 459, 460, 461, 464, 465, 466 के उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे करीब 4 मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की भूमियों से खण्डेला उदयपुरवाटी सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क ख०न० 443 तक आवागमन के लिए कदीम से प्रयुक्त होता चला आ रहा है जो सरलतम व निकटतम है परन्तु प्रार्थीगण की भूमियों में आवागमन का एक मात्र वैकल्पिक इस रास्ता की भूमि राजकीय भूमि राजस्व रिकार्ड में किस	

Sd/-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	बंजड़ होने से एवं करानी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से पड़ोसी भूमि के खातेदार इस राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करके रास्ते को अवरूध कर देते है। जिससे कई बार काश्त करने से वंचित होना पड़ता है। इसलिए उक्त राजकीय भूमि से अवरोध हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड में मौ० मु० रास्ता कायम किया जाकर रास्ता चालू करवाना जावें। इस रास्ते राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु एवं धारा 251(क) RT Act में उक्त रास्ता का अनुतोष प्राप्त करने की प्रार्थीगण पूर्ण पात्रता रखते है। तथा उक्त अधिनियम की इस धारा को राजस्थान सरकार ने राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के दिनांक 14-01-2013 के परिपत्र क्रमांक प० 3 (52) राज-6/12/4 के द्वारा राजकीय भूमि पर सार्वजनिक रास्ता निकालने के सम्बन्ध में स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो

...व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	जावे कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को खेत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तो उक्त स्थिति मे राजस्थान रास्ता नियम 2004 के नियम-2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी है कि कृषि भूमि दरो का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। उक्त प्रावधान के अनुसार प्रार्थीगण धारा 251 (अ) मे रास्ता प्राप्त करने की पूर्ण पात्रता रखते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर चाहा गया अनुतोष प्रदान किया जाने का आदेश फरमाया जावे। अप्रार्थीगण ने जवाब के अपने द्वारा पेश जांच रिपोर्ट के अनुसार ही जवाब व बहस मानकर निर्णय फरमाने का निवेदन किया। हमने बहस उभय पक्षकार की सुनी तथा उस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन...	

व हुक्म

किया गया। तथा तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प०3 (52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि कोई खातेदार अपनी भूमि तक पहुंचने के लिए राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जावे कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी भूमि तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है इस स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी कृषि भूमि दरों का चौगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट भूमि ख०न० 484 व 485 के आवागमन हेतु ग्राम जलेडीपुरा के ख०न० 449, 460,

(हस्ताक्षर)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	464, 465, 466 में उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 4 मीटर चौड़ा है प्रस्तावित उक्त रास्ते की भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज कागज किया है। जिसकी कुल लम्बाई 348 मीटर व क्षेत्रफल कुल 1368 वर्गमी० बनता है। जो न्यूनतम व मिनिमम है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प०3 (52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 का मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक रास्ते के अभाव में कृषक खातेदार को रास्ते में आने वाली राजकीय भूमि का योजना प्रतिकर लिया जाकर कृषक खातेदार को उसकी खेत तक रास्ता दिया जाने का है। अतः राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के उक्त परिपत्र के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि:-	
	आदेश	
	ग्राम सलेदीपुरा प० ह० डेरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० के कृषि भूमि ख० न० 485 व 484 में आवागमन एवं पहुंच हेतु अप्रार्थीगण राजस्थान सरकार के भूमि	
	(हस्ताक्षर) —	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म

ख० न० 449, 460, 461, 464, 465, 466, की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे 4 मीटर चौड़ा कुल लम्बाई 342 मीटर व कुल क्षेत्रफल 1368 वर्ग मीटर को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार खण्डेला उक्त रास्ते के पेटे काम आने वाली भूमि का वर्तमान डी० एल० सी० दर से चौगुनी राशी का आंकलन कर राशी राजकोष मे जमा करा कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। रास्ते की भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटाते हुए रास्ता चालू करवाया जावे। उक्त रास्ता पूर्णतः सार्वजनिक उपयोग उपभोग का होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रणजीत सिंह)
RAS.
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)